न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 29 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. वागाराम पुत्र श्री सुजारामजी जाति रबारी निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

1.भावाराम पुत्र श्री दीपारामजी
2.जीणाराम पुत्र श्री दीपाराम
3.तगु पत्नी दीपाराम
4.तलाराम पुत्र वालाराम
5.दानाराम पुत्र दीपाराम
6.पूरोदेवी पत्नी वालाराम
7.बिजलाराम पुत्र वालाराम
8.हड़मताराम पुत्र वालाराम जाति रबारी निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
9.नारायणसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
10.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 30 / 2020 बअनवान भावाराम बनाम जीणाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कपिल श्रीमाली अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 14.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि सरहद मौजा पादरू में खेत खसरा संख्या

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

511, 513 व 703 कुल रकबा 08.7008 हैक्टर एवं खसरा संख्या 657 रकबा 13.9860 हैक्टर की आई हुई है। मौके पर सभी खातेदार माफिक हक हिस्से के मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार काबिज काश्त है, तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को विप्रार्थीगण अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2020 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश जारी किया कि अपीलाधीन आराजी का अपीलांट बिना किसी बंटवाड़ा किसी विशेष हिस्से को बेचान नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश की सूचना अपीलांट को डाक रजिस्ट्री के जरिये नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी करते हुए बिना बंटवाड़ा के किसी विशेष भू भाग के बेचान पर रोक लगाई गई जबकि अपीलांट का अपीलाधीन आराजी में जो हक हिस्सा है उसे बेचान करने के लिए वह स्वतंत्र है। अपीलांट एक रिकॉर्डेड खातेदार है जिसे इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट आज बावजूद सूचना अनुपस्थित आये तथा दिनांक 07.10.2020 को न्यायालय के समक्ष सहमति दी कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.10.2020 को अपनी पूर्ण बहस आवश्यक रूप से कर देंगे जिससे उनकी मंशानुसार अवसर दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

"दिनांक 22.06.2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए "वादग्रस्त आराजी ग्राम पादरू के खेत खसरा संख्या 511, 513, 703 एवं 657 की भूमि के बिना बंटवाड़ा किसी विशेष हिस्से का बेचान नहीं करें।" का व्यादेश प्रदान किया। इससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2020 में "बिना बंटवाड़ा किसी विशेष हिस्से का बेचान नहीं करे" से यह आदेश अंतरिम नहीं माना जाकर अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया हो गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वह अपने हक हिस्से तक अपनी भूमि का बेचान करने के लिए स्वतंत्र है जिसे स्थगन आदेश से पाबंद करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 30/2020 बअनवान भावाराम वनाम जीणाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.06.2020 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर